अनुबंध – II

निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर अंशकालिक चिकित्सा सलाहकार (एमसी) की नियुक्ति

संविदा के नियम एवं शर्तें

1. निर्धारित घंटों कि ड्यूटी (या अगर आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) बैंक के औषधालय में सेवा के लिए सिवाय बैंक कि छुट्टी के दिन या अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों के दिन बशर्ते औषधालय लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार औषधालयों के बीच चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) की नियुक्ति के स्थान को स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक किसी भी आवश्यकता के मामले में अपने अन्य औषधालयों में एमसी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

2. मुंबई घूमने या दौरे पर आए अन्य अधिकारियों सहित, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्मिक सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके पति/पत्नी जो चिकित्सा सहायता कोष योजना (एमएएफएस) के सदस्य हैं [आगंतुकों के रूप में संदर्भित], जो क्लिनिक में परामर्श के लिए आते हैं उनको सलाह देना, दवाएं लिखना और नि:शुल्क इंजेक्शन देना। अत्यावश्यक मामले में, एमसी अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए किसी भी समय उपलब्ध रहेंगे और बैंक की अनुसूची के अनुसार शुल्क लेंगे। शुल्कों की यह अनुसूची जो बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होती है, अनुरोध पर एमसी को उपलब्ध कराई जाएगी।

3. कर्मचारियों/अधिकारियों के क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति प्राप्त कर्मचारियों के रिश्तेदारों को उपरोक्त बिंदु संख्या 2 में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना और कर्मचारियों से शुल्क की वसूली (बैंक की निर्धारित दर के अनुसार) कर समय-समय पर बैंक के खाते में जमा करने की सुविधा प्रदान करना।

4. एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के समान कर्तव्यों का पालन करना चाहे एमसी के पास जो भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यताएं हों या भविष्य में वह अर्जित करे। यह सुनिश्चित करने कि एमसी की जिम्मेदारी होगी कि उसके पास जो योग्यताएं हैं या जो भविष्य में योग्यताएं अर्जित हों, वह उसे किसी भी तरह से सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं करती हैं। तथापि, यदि भारतीय चिकित्सक संघ की किसी भी शर्त के अनुसार, वह जो योग्यता रखता है या प्राप्त करता है, जैसा भी मामला हो, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए बैंक की आवश्यकता के विपरीत आता है, तो उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस संबंध में

किसी भी परिस्थिति में कोई दायित्व या जिम्मेदारी बैंक पर **नहीं** आती है और इस बाबत वह हर समय बैंक कि क्षतिपूर्ति करेगा और करता रहेगा।

5. बैंक के औषधालय के कर्तव्यों में ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

(i) छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित एमसी के पास पहुचें।

(ii) औषधालय या विभागों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार और ऐसी आवश्यकता को देखने के लिए उपस्थित होना और उसे उपयुक्त अस्पतालों को संदर्भित करना बावजूद इसके कि ऐसी आवश्यकता सामान्य कामकाजी घंटों के बाहर हो।

(iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - किसी भी अप्रिय घटना के लिए सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी एमसी की होगी। नियमानुसार एमसी की अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने को मना किया जाता है। ज्यादा काम होने पर एमसी को फार्मासिस्टों को नियमित और सरल प्रकार के इंजेक्शन लगाने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी।

(iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली सर्जरी केवल एमसी द्वारा ही संभाली जानी है। यदि वह आश्वस्त है कि फार्मासिस्टों में अपेक्षित क्षमता है, तो उनके द्वारा नियमित ड्रेसिंग की जा सकती है।

(v) कार्डियो-वैस्कुलर या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, एमसी को मरीज के साथ अस्पताल जाना चाहिए, यदि वे स्थान पर उपस्थित हों।

6. क्वार्टर में रहने वाले बैंक के किसी स्टाफ सदस्य से मिलने और उनके स्वास्थ्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने को कहा जाए। ऐसी सेवाओं के लिए एमसी को बैंक के शुल्क की अनुसूची के अनुसार सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

7. यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना और अन्य योग्य चिकित्सा चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करना, यदि एमसी मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट है।

8. अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर उनके आवास पर जाकर देखना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित घर जाकर देखने का शुल्क या परामर्श शुल्क लेना। ऐसे दौरा शुल्क/परामर्श शुल्क, जो इस प्रकार निर्धारित किया गया है, में इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होगा। इस तरह के दौरे के लिए एमसी द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

9. यदि और जब ऐसा करने की आवश्यकता होती है, तो एमसी ऐसे प्रपत्रों में प्रमाणित करेगा जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें किसी भी कर्मचारी या किसी भी संभावित कर्मचारी जो बैंक में नियुक्ति के लिए चयनित है के स्वास्थ्य और / या सेवा के लिए फिटनेस के बारे में बताया जा सकता है।

10. बैंक के कर्मचारियों के उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित रसायनज्ञों को आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करना और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को अग्रेषित करना।

11. बैंक के किसी कर्मचारी या उनके परिवार (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर अस्पताल में भर्ती के लिए) की आवश्यकता होने पर अस्पताल की सुविधाओं को हासिल करने के लिए एमसी के अच्छे कार्यालयों/संपर्कों का उपयोग करना।

12. महीने में एक बार कार्यालय परिसरों/क्वार्टरों का निरीक्षण करना और रिपोर्ट करना कि क्या उन्हें साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा गया है।

13. टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाना और जब भी आवश्यक हो चेचक के लिए टीकाकरण करना।

14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर 31 मार्च की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

15. औषधियों का उचित भण्डारण एवं उनका वितरण सुनिश्चित करना तथा इस संबंध में सभी आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव करना।

16. दवा मांगपत्रों पर सलाह देना, और दवा के स्टॉक-बैलेंस और खपत की प्रति-जांच करना।

17. जब कभी एमसी को संदर्भित किया जाता है तो चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की तर्कसंगतता सहित पेशेवर राय देना।

18. समय-समय पर बैंक द्वारा सौंपे गए बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित किसी भी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए, जिसमें आवश्यक डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है जैसा कि सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सामान्य रूप से किया जाता है या अपेक्षित है।

19. चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, संविदा के **3 वर्षों के लिए पारिश्रमिक रुपये 1,000/- प्रति घंटा** निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर

देय है। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से रु. 1,000/- प्रति माह परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी जैसे किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो 1,000/- रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा। एमसी को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे।

20. एमसी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, उसे अपने जोखिम और लागत पर बैंक को योग्यता और अनुभव के मामले में स्वीकार्य डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

21. चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

22. नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदात्मक और घंटे के आधार पर है। उस आधार पर बैंक में नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के समान मांग के लिए किसी भी स्तर पर कोई दावा नहीं होगा।

23. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को बैंक के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

24. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों के पास वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है।

25. ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31 जनवरी, 2019 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाना चाहिए।

26. अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों की संविदा के आधार पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी से जाति / आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से उजागर होता है कि एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा गलत है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं बिना कोई और कारण बताए तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी और बैंक ऐसी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो वह उचित समझे।

27. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यह समीचीन हो जाता है तो अपने विवेक पर ड्यूटी के घंटे और औषधालय के स्थान को बदल सकता है।

28. एमसी **अनुबंध-III** में उल्लिखित आचार संहिता का पालन करेगी।

29. अनुबंध नियम और शर्तों की स्वीकृति के अधीन नियुक्ति की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

30. संविदा को किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में तीन महीने का पारिश्रमिक देकर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस अवधि के दौरान एमसी अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा जब तक कि बैंक द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती।

31. नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में बैंक बिना कोई कारण बताए और मुआवजे के किसी दावे के बिना एमसी के संविदा को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद मुंबई के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

---xxx---